


Applicant/Petitioner

CASE NO.



राजरव मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Siyaram S/o Shri Moti Lal, Age- major, Occupation-Agriculturist R/o Village Balapura Tehsil Baroda District Sheopur M.P.

V/s

Respondents



Balmukund S/o Shri Bhavnath, Age - 45 years, Occupation - agriculturist, R/o Village Amalda Tehsil & District Sheopur M.P.

Revision petition under section 50 of M.P.L.R.C. arising out of order Dated 20.04.2017, 28.04.2017 and 09.05.2017 passed by Tehsildar and S.D.O. Sheopur in case no.010/2016-17 A-38, by which the objection of the petitioner has been dismissed arbitrarily and illegally and without assigning any appropriate reasons, copy of the said orders are marked as Annexure-p-1 colly, Hence this revision petition. MAY IT PLEASE THIS HON'BLE COURT,


The humble petitioner most respectfully begs to submit this application as under.

Facts of the case

1.

The brief facts giving rise to the present petition are as under: -

That, initially the concerning Patwari has given a report regarding the survey no. 34 area 1.944 hectare situated at village Balapura Tehsil Baroda District Sheopur, as per the said report, the concerning Patwari has narrated that the aforesaid agriculture land belongs to a Temple and the Collector is a manager of the said land and the petitioner is an encroacher of the same, therefore the proceedings be initiated against the petitioner, on account of the same the concerning Patwari has made his statement, thereafter the respondent no.2 has issued the notice to the petitioner, copy of the said documents are herewith marked as Annexure-p-2 colly, the said documents are syco in nature and those are without mentioning any date upon the same.









न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ प्रकरण क्रमांक निगरानी 1506—दो/2017 जिला—श्योपुर

स्थान तथा कार्यवाही तथा आदेश अभिभा ाव आदि के हस्ताक्षर		प्रकरण कमांक निगरानी 1506—दो / 2017 जिला—श्योपुर	
अावेदक के अधिवक्ता श्री रिव चौधरी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ—68//2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.04.17 के किरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पश्चित दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19	स्थान तथा दिनांक		
तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ–68//2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पशीर दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19			QXXIII
तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों को अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ—68//2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षी दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।	5 .2.19		
अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ-68//2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा प्रधाकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।		तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययंन किया। अध्ययन से	
आदेश दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।		प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय	
आदेश दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।		अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ-68//2016-17 में पारित	
धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।			
2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।		The Mark Addition	
संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।			ī
धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19			
(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पद्मकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19			
विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19		धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-	
3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19		(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश व	ते
कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19		विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।	
कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19		3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकर	ग
पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19 सदस्य		कलेक्टर जिला शयोपुर के न्यायालय में स्थानातरण किया जाता है तथ	ग्रा ।
		8.6	
कलेक्टर जिला श्योपुर			
		कलेक्टर जिला श्योपुर	
	/		
	100		